न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – देवीलाल यादव (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : – 20/2022

उनवान

भागचन्द पुत्र रंगलाल जाति जाट नि0 ग्राम सनोद, नसीराबाद
––– प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री फारूक खत्री

बनाम

1. राजस्थान सरकार तहसीलदार नसीराबाद
–– अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार
2. भंवरलाल पुत्र रामदेव
3. मधु पुत्री रामदेव
4. मोती पुत्र रंगलाल
5. मोहनी देवी पत्नी रामदेव
6. शंकर पुत्र रामदेव जाति जाट निवासी ग्राम सनोद, नसीराबाद
–– प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 1.4.24

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सनोद तहसील, नसीराबाद, अजमेर के हाल खसरा नम्बर 4699/6501 व 4701/6502 की भूमि प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु प्रार्थी खसरा नम्बर 4706 सिवायचक भूमि का उपयोग करता है। खसरा नम्बर 4706 मे से पूर्व से पश्चिम खसरा नम्बर 4708 की सीमा से सटाकर आवागमन करते है। राजस्व रेकार्ड में उक्त मार्ग का अंकन नही है। उक्त भूमि पर से मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग मौके व रेकार्ड पर नही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी को उक्त आराजी पर आवागमन हेतु 30 फिट चौडा रास्ता माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर [illegible] तलब किया गया। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रकरण में मौका रिपोर्ट [illegible] की गयी। अप्रार्थी संख्या 2 से 6 खसरा नम्बर 4699/6501 व 4701/[illegible] के साथ सहखातेदार दर्ज है उनके वियद्ध प्रकरण में कोई अनुतोष [illegible] प्रकरण में मौका रिपोर्ट [illegible] गयी है। अतः अप्रार्थी संख्या 2 से 6 की तलबी की आवश्यकता नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:44:17 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार हाल खसरा नम्बर 4699/6501 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

0.11 व 4701/6502 रकबा 0.10 की आराजी प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की सहखातेदारी में है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 4706 सिवायचक में से रास्ता चाहा है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 4706 में से 1215 वर्ग मीटर भूमि उपयोग में ली जावेगी। मार्ग की चौडाई 9 मीटर बतायी है। उक्त रिपोर्ट में अंकित किया है कि खसरा नम्बर 4706 पर धारा 91 के तहत अतिक्रमण रहा है एवं तदानुसार बेदखल भी किया जा चुका है। अतिक्रमी शैतान सिंह ने इस आधार पर माननीय श्रीमान सिविल न्यायाधीश नसीराबाद से अस्थायी निषेघाज्ञा दिनांक 08.08.22 तक प्राप्त की थी। वर्तमान में भी उक्त निषेघाज्ञा अप्रार्थी ने होना बताया। उक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रार्थी जिस खसरा नम्बर में से रास्ता चाहता है उस खसरा नम्बर बाबत माननीय सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 01.07.22 को ही अंतरिम अस्थायी निषेघाज्ञा से तहसीलदार नसीराबाद को पाबंद किया जा चुका है। उक्त प्रार्थना पत्र हाजा न्यायालय में दिनांक 25.7.22 को दर्ज किया गया। खसरा नम्बर 4706 पर अन्य व्यक्ति का कब्जा होना बताया गया है। जो इस प्रकरण में पक्षकार नही है। खसरा नम्बर 4706 बाबत पूर्व में ही सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है। अतः उक्त प्रकरण के विचाराधीन रहते हाजा न्यायालय द्वारा प्रकरण में आदेश पारित करने से वाद बहुलता होगी। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा हाजा न्यायालय के आदेश की पालना भी सिविल न्यायालय के आदेश अनुसार नही की जा सकती है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रकरण इसी स्तर पर इस आशय से खारिज किया जाता है कि माननीय सिविल न्यायालय के आदेश के पश्चात अथवा अन्य वैकल्पिक मार्ग हेतु नवीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी स्वतंत्र रहेगा। नवीन प्रार्थना पत्र पर यह आदेश अप्रभावी रहेगा। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:44:17 IST
Reason: SelfAttested